



624/11

दस्तावेज संख्या 2200710

दिनांक 20 फरवरी 2017

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 5339/05/76/रक/2015-17  
सेवा नं.

दिनांक 20 फरवरी 2017

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-आजनगढ़।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (ब्लॉक) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय  
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकेम, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या 37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अस्तुत्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड IFSC Code	धनराशि
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	588202010003650	UBIN0558826	16.913

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	विकास का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	द्वितीय स्थित की धनराशि का प्रेषण
1	आजनगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न04090 आजनगढ़	शिवनगर कालोनी में शशि प्रा. त्रिपाठी के मकान से बकील के मकान तक दिनेश चंद्र संकेत के मकान से रामजन सिंह के मकान तक व रमेश लाल के मकान से राजेश कुमार श्रीधरसिंह के मकान तक नु0 सिधरी पूर्वी वार्ड नं0 07 में गिरीश चंद्र चौधे के मकान से कालक चौधे के मकान तक, मी0 सज्जुदौल में रेलवे स्टेशन रोड से बिल्सू ब्रदर के दुकान होते हुए उम रोड के धर तक, वर्मा की गली में चन्द्रमान वर्मा के मकान से दिनेश के मकान तक नु0 हरमंशपुर में गांधी आजाद के मकान से पूर्व रामसद राजेन्द्र प्रसाद के मकान तक इण्टरलॉकेम व नाली निर्माण का कार्य।	16.913
योग					16.913

उपरोक्त अस्तुत्ता धनराशि का कार्य शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0र0ी0 रोड़ अथवा इण्टरलॉकेम, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना-तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शहरनादेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0र0ी0 रोड़ अथवा इण्टरलॉकेम, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ली0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य करवा जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बंधित प्रशासकी न रखा जायें।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य करायें जायें उनको सूचना सम्बन्धित स्तर विकास एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर करीब सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य के विभागों द्वारा दोहरा न कर लिया जायें।
- 3- प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर रायदा स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जायें।



624/2

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना-नर्तक कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्राव से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रसन्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाओं या कार्य करवाये जायें उनमें धनराशि के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पारिवारिकीय वाक्या के अन्तर्गत कोई स्वीकृत/अनाप्रति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रसन्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यव निम्नीय हस्तासुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिणामप्रतियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को तत्कालपरिह कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख रखाव में कोई कठम उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिणामप्रतियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजना-नर्तक अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2014-17 में उपररत कर लिया जाये तथा उपरोक्तित प्रमाण पत्र अथवा आशय धनराशि अभिकरण को उत्तमक दशा में उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपरोक्त धनराशि, अभिकरण को नहीं प्राय होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार गिहित नद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजना-नर्तक कार्य कगल इस प्रकार करवाये जाये कि वे प्रसन्नगत उपलब्ध धनराशि से ही सन्ध से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रसन्नगत परियोजना में गुणवत्ता के पूर्व स्थानियक केन्द्र, राज्य व स्थानीय कर्तों की स्तर पर कटीरी सम्बन्धी अधिार्य विधियक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उक्त परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्ध न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जन्ध को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अधिार्य कार्य, ग वधि कार्य/धनराशि की देरान्ति हो रही है तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जन्ध के सम्बन्धित अधिार्य सपुका रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्ध सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमनुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अधिार्य अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।
- 13- वर्तमान में प्रस्तावी आदर्श युनाय आवार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(नाल प्रताप सिंह)  
वित्त निम्न-त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जन्ध।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. अधिार्य अधिार्यता-सूडा।
4. कम्यूटर सेल/लेखा विभाग सूडा।

(नाल प्रताप सिंह)  
वित्त निम्न-त्रक